न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37/2022 (2022/334)

1. चौथमल पुत्र भागीरथ रेगर निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. कैलाशचन्द पुत्र भागीरथ जाति रेगर निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. रामप्रसाद पुत्र भागीरथ जाति रेगर निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. मीरा पुत्री भागीरथ जाति रेगर निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
5. बाबूलाल पुत्र भागीरथ जाति रेगर निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रतनी पत्नि रामस्वरूप माली जाति माली निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. सीताराम पुत्र रामस्वरूप माली जाति माली निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप माली जाति माली निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. रामप्रसाद पुत्र रामस्वरूप माली जाति माली निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील कार्यालय केकड़ी जिला अजमेर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णय:—

दिनांकः— 04.07.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम/कस्बा बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
410—1012	280	2.50	बारानी 1
	किता 1	रकबा 2.50 हैक्टर	

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी केकड़ी)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की ग्राम/कस्वा बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1833–1797	275	3.12	बारानी 1
	किता 1	**रकबा 3.12 हैक्टर**	

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 280 में कृषि/सिंचाई कार्य हेतु आने जाने के लिए रास्ता करीबन 20 फीट चौडा खसरा नम्बर 275 में दक्षिणी दिशा में खसरा नम्बर 276 के लगवा पूर्व में स्थित था जो कि खसरा नम्बर 391 सरकारी भूमि आम रास्ता से होता हुआ, खसरा नम्बर 275 में से होता हुआ खसरा नम्बर 280 में जाता था। उक्त रास्ता अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की मौखिक सहमति के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी खसरा नम्बर 280 हेतु कृषि कार्य/सिंचाई/पिलाई कार्य हेतु ट्रेक्टर, ट्रोली, कृषि यंत्र, औजार आदि लाने ले जाने हेतु उपयोग उपभोग में कदीम से पूर्वजो के समय से लिया जाता रहा है। उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 बन्द करने व तारबन्दी करने पर उतारू है तथा उक्त रास्ते की भूमि को अपने खेत खसरा संख्या 275 में मिलाकर एकरूप कर दिया है। प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता स्थित नही है जिससे प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने का कोई रास्ता नही रहा है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी में कृषि कार्य, सिंचाई पिलाई आदि करने से कतई असमर्थ हो गये है। प्रार्थीगण ने दिनांक 01.05.2022 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 उक्त कदीम रास्ते आने–जाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये एवं रास्ते से आने जाने से मना कर दिया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नम्बर 275 में से होकर जाने वाले कदीम रास्ते को खुलासा कराया जाकर 20 फीट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किये जाने का निवेदन कर अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया है। रास्ते हेतु नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु प्रार्थीगण तैयार एवं तत्पर है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र का पेरा संख्या 1 के कथन राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है, प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करें। पेरा संख्या 2 के कथन स्वीकार है। पेरा संख्या 3, 4, 6, 7, 8 के जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा बताये अनुसार मौके पर कोई रास्ता स्थित नही है। रास्ता पूर्व में खसरा नम्बर 276 की मेड पर से होकर था जिस पर प्रार्थीगण एवं खसरा नम्बर 276 के खातेदारान ने आपस में मिलीभगत कर तारबन्दी कर दिये जाने से प्रार्थीगण नाजायज रूप से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की आराजीयात से रास्ते की मांग कर

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

रहे है। प्रार्थीगण ने वर्तमान में फसल काश्त कर रखी है एवं अपनी आराजीयात पर खसरा नम्बर 276 मे से ही होकर आ जा रहे है। पैरा संख्या 5 व 9 के कथन प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करें। पैरा संख्या 10 से 14 के कथन अस्वीकार है तथा निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के साथ किसी प्रकार का कोई लडाई झगडा नही किया है। प्रार्थीगण ने वर्तमान में अपनी आराजी खसरा नम्बर 280 को काश्त कर रखी है जिस हेतु आने जाने हेतु खसरा नम्बर 276 का उपयोग किया है। प्रार्थीगण द्वारा काश्त नही करने के कथन मिथ्या अंकित किये है। प्रार्थीगण की नीयत बद है, वे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 से नाजायज राशि वसूल करना चाहते है। पैरा संख्या 15 व 16 कानूनी होना जाहिर किया है एवं पक्षान्तर में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी 1 लगायत 4 की भूमि में से कोई रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की भूमि खसरा नम्बर 275 में से रास्ते के रूप में अधिग्रहीत की गई भूमि की एवज में प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 280 मे से आराजी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र को शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार केकड़ी की ओर से मौका रिपोर्ट/जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो निम्नानुसार है –

1. प्रार्थनापत्र में अंकित ग्राम/कस्बा बघेरा के खसरा नम्बर 280 प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है।
2. प्रार्थीगण अपने खेत में खसरा नम्बर 391 गै.मु.रास्ता व लगवा खसरा नम्बर 276 में से होकर आवागमन कर रहा है।
3. प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी पर खसरा नम्बर 391 किस्म गै.मु.रास्ता है जो सिवायचक खाते में दर्ज है।
4. प्रार्थी के खेत पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 391 गै.मु.रास्ता से खसरा नम्बर 275 की पश्चिमी मेड से होकर आवागमन सुविधाजनक एवं निकटतम रहेगा।
5. उपरोक्तानुसार वांछित रास्ते के अलावा मौका स्थिति अनुसार नजदीकी एवं सुविधाजनक अन्य रास्ता नही दिया जा सकता।
6. प्रार्थी को वर्तमान में अपने खेत पर आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
7. प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 275 की दक्षिणी मेड पर 112 x 6 = 672 वर्गमीटर, रास्ते हेतु क्षेत्रफल बनता है, जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 450875/– प्रति हैक्टर के दोगुने से प्रतिकर राशि 60588/– रूपये बनते है।
8. प्रस्तावित रास्ता का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

तहसीलदार केकड़ी से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के तथ्यों का वर्णन करते हुए तहसीलदार केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब प्रार्थनापत्र के तथ्यों का वर्णन कर तर्क दिया कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 280 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 275 में से कभी भी कोई रास्ता नही रहा है। प्रार्थीगण खसरा संख्या 276 में से ही होकर काश्त हेतु आवागमन कर रहे है जो खसरा नम्बर 275 के लगवा स्थित है। अतः अप्रार्थीगण की आराजी में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है। जवाब सरकार के साथ संलग्न मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें संलग्न तामीली रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि अप्रार्थीगण रतनी, ओमप्रकाश, व रामप्रसाद ने मौका रिपोर्ट तैयार करने के दौरान मौके पर उपस्थित होने बाबत जारी किये गये नोटिस को लेने से इनकार किया जाना अवगत कराया है एवं अप्रार्थी सीताराम के बावजूद नोटिस तामील दौराने मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण मौके पर अनुपस्थित रहे है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। तहसीलदार केकड़ी द्वारा मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 391 गै.मु.रास्ता से होते हुए खसरा नम्बर 275 की पश्चिमी दक्षिणी मेड से होकर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 280 में आवागमन सुविधाजनक एवं निकटतम होना अवगत कराया जाकर प्रस्तावित किया है। मौका स्थिति रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शा ट्रेस के अवलोकन से तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तावित किया गया रास्ता ही उपर्युक्त प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तावित ग्राम/कस्बा बघेरा तहसील केकड़ी के खसरा नंबर 275 कुल रकबा 3.12 हैक्टर में से 112 x 6 = 672 वर्गमीटर, का नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ता अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते के कुल क्षेत्रफल 672 हेतु वर्तमान डीएलसी दर 450875/- प्रति हैक्टर के दोगुने से प्रतिकर राशि 60588/- (साठ हजार पांच सौ अठ्यासी) रूपये बनते है। अतः तहसीलदार केकड़ी द्वारा उक्त राशि प्रार्थीगण से वसूल कर खसरा संख्या 275 के खातेदार/अप्रार्थीगण को जर्ये सूचना पत्र जारी कर दिलवायी जावे। संबंधित खातेदार/अप्रार्थीगण द्वारा राशि नही लिये जाने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर आदेशानुसार रास्ते को सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

आदेश पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जि. अजमेर